न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 37/2026

मोहसीन रशीद खान निवासी राज टाकीज रोड, वार्ड नं. 19 टोंक जिला टोंक राज0
——अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 15.04.2026**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 19.01.2026 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

1. सार्वजनिक निर्माण विभाग, उनियारा, द्वारा महाराणा प्रताप महाविद्यालय उनियारा को वर्ष 2022, 2023, 2024 एवं 2025 में जारी किए गए अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं।
2. कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग, उनियारा, द्वारा महाराणा प्रताप कॉलेज को पत्र क्रमांक 401 वर्ष 2024, क्रमांक 371 वर्ष 2025 में जारी किए गए पत्र / अनापत्ति प्रमाण पत्र या कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग, उनियारा की किसी भी शाखा से दिए गए क्रमांक का पत्र जारी किया गया है तो उक्त पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं।
3. कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग, उनियारा, द्वारा महाराणा प्रताप कॉलेज को पत्र क्रमांक 149 वर्ष 2024, पत्र क्रमांक 149 वर्ष 2025 में जारी किया गया है, या कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग, उनियारा की किसी भी शाखा से दिए गए क्रमांक का पत्र जारी किया गया है तो उक्त पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं ।
4. कार्यालय नगर पालिका मंडल देवली, ज़िला टोंक, राजस्थान द्वारा वर्ष 2022, 2023, 2024 व वर्ष 2025 में शिव शक्ति महाविद्यालय, नगर फोर्ट को जारी किए गए अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान करें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र क्रमांक 544 दिनांक 19.03.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 141 दिनांक 07.04.2026 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन अति0 जिला कलेक्टर, टोंक श्री रामरतन सौंकरिया के ऑनलाईन पोर्टल पर ना कर पीएल जाट के ऑनलाईन पोर्टल पर किये जाने के कारण प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में प्राप्त नही हुआ है। अपीलाण्ट द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध भिन्न–भिन्न लोक सूचना अधिकारियों से संबंधित होने के कारण संकलित कर उपलब्ध कराया जाना संभव नही होने से आवेदन पत्र खारिज करते हुये उनके पत्र कमांक 140 दिनांक 07.04.2026 से सूचित किया गया है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

821

जिला कलेक्टर
टोंक

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति० जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(टीना डाबी)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
टोंक (राजस्थान)